प्रमाणपत्र कमांक **055282**

प्रारूप –8

नियम 7(2) देखिये

संख्या 1259 दिनांक 26/5/17

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण–पत्र

पंजीकरण संख्या	पत्रावली संख्या	दिनांक
443	जी–59572	2017-2018

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि *......कबीर शिक्षा सेवा समिति, ग्राम– तेनुआ, पो०– मझौआमीर, तहसील– रुधौली, जनपद– बस्ती को आज उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृति के सम्बन्ध में यथासंशोधित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किया गया है । यह प्रमाण–पत्र 23-05-2022 तक विधि मान्य होगा ।

आज दिनांक 24 - 05 दो हजार 17 को मेरे हस्ताक्षर से दिया गया ।

24/5/17

*सोसाइटी का नाम, पता

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 1 सो० फार्म एवं मुद्रण–21–11–2014–(1373)–2,00,000 प्रतियां (क०/टी०/ऑफसेट)।

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 23AB 176336

यह जनरल स्टाप पेपर दीन बन्धु ग्रामीण प्रगति समिति बस्ती
ग्राम- सुन्तपुर पोस्ट- पुरानी बस्ती
जिला बस्ती र. डी. न. ... [illegible]
बस्ती पक्ष के साथ संलग्न है।

केन्द्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियाँ उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर
26/7/11

स्मृति-पत्र

संस्था का नाम– दीन बन्धु शिक्षा प्रसार समिति, बस्ती।

संस्था का पूरा पता– ग्राम–सन्तपुर पोस्ट–पुरानी बस्ती, जनपद–बस्ती। (उ0प्र0)

संस्था का कार्य क्षेत्र– सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

संस्था का उद्देश्य–

(1) संस्था पीड़ित मानवता की सेवा की भावना से उन सभी कार्यों को करेगी जो जन हित एवं राष्ट्र हित में हो।

(2) बालक एवं बालिकाओं को शैक्षिक, मानसिक, नैतिक एवं शारीरिक विकास की शिक्षा प्रदान करना।

(3) संस्था अपने माध्यम से बालक एवं बालिकाओं के लिए प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, इण्टर मीडिएट कालेज डिग्री कालेज एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिक्षण संस्थाए संचालित करना।

(4) ज्ञानवर्धक, हितार्थ, पुस्तकालय, वाचनालय तथा अन्य समाजोउपयोगी कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।

(5) अल्पसंख्यको तथा दलित वर्गो एवं बौद्विष्ठ वर्गो के लोगो के कल्याणार्थ शिक्षण संस्थाओं, छात्रावास, शौचालय, मुख्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, अनाथालय, महिला आश्रम आदि की स्थापना करना। उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ती हेतु शासन से अनुदान प्राप्त करना एवं जन सहयोग प्राप्त करना।

(6) औद्योगिक एवं प्राविधिक, व्यवसायिक इलेक्ट्रानिक शिक्षा संस्थाएं स्थापित करना एवं शिक्षा देना।

(7) राष्ट्रीय कार्यक्रमों के क्रियान्यवन करने हेतु ग्राम समाज एवं सरकार से भूमि तथा शासन से वित्तीय सहायता प्राप्त कर वृक्षारोपण, मत्स्यपालन करना एवं तालाब का निर्माण करना।

(8) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु क्रय, बन्धक, पट्टा, उपहार, अनुबन्ध द्वारा भूमि तथा अन्य सम्पत्ति प्राप्त करना एवं आवश्यकतानुसार देना।

————2

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

राज किशोर
प्रेमात्मा प्रसाद चौ०
राज कुमार
श्याम सुन्दर चौधरी
रामानन्द

(9) संस्था सबके लिए शिक्षा कार्यक्रम सघन रूप से चलाकर सबको साक्षर बनाने का कार्य करेगी तथा केन्द्रीय तथा राज्य सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय, देशीय एवं विदेशीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं से धन प्राप्त कर, तद्नुसार कार्य करना।

(10) युवको, किशोरो, बालक एवं बालिकाओं को सामाजिक, चरित्र निर्माण राष्ट्रीय स्वाभिमान आत्मनिर्भर आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यो का संचालन करना।

(11) कामकाजी महिलाओं के लिए हास्टल, निराश्रित लोगो के लिए संरक्षण गृह अल्पवधि संरक्षण गृह, शिशु निकेतन आदि का संचालन करना।

(12) समय–2 पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(13) परिवार कल्याण, परिवार नियोजन की महत्ता के बारे में अवगत कराना महिलाओं के लिए जागरूकता केन्द्र व बच्चों को टीका लगाना व बच्चों के जन्म दर को कम करने के बारे में अवगत कराना, सम्बन्धित कार्यक्रम का संचालन करना।

(14) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विधवा, परित्यक्ता नारी, विकलांग, अंधे, निराश्रित लोगों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही, योजनाओ से अवगत कराना, क्रिया क्रियान्वित करना तथा उनका प्रचार–प्रसार करना।

(15) ग्रामीण/शहरी/निराश्रित महिलाओं को सिलाई, कढाई, बुनाई लघु उद्योग गृह उद्योग के बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना जिससे वे आत्मनिर्भर हो सके।

(16) एड्स, ड्रग्स, कैंसर, नसबन्दी आदि की रोकथाम हेतु प्रयास करना तथा इससे होने वाली बीमारियो, हानियों से अवगत करना व उनका प्रचार व प्रसार करना।

———3

क्षेत्रीय कार्यालय सहायक निबंधक समितियां उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सीता चौधरी

राज किशोर

राज कुमार

रामानन्द

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

(17) बालवाड़ी, आगनवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, बालविकास योजना का आयोजन व क्रियान्वयन करना व प्रौढ़ों को शिक्षा देने की व्यवस्था करना।

(18) शिक्षित बेरोजगारो को टाईप स्कूल, कम्प्यूटर कक्षाए टेलीवीजन कोर्स कराने की निःशुल्क व्यवस्था करना।

(19) समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, कंपार्ट, नवार्ड, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय, कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, अनुसूचित जाति एवं जन जाति आयोग एवं अन्य समाज सेवी संस्थाओं द्वारा संचालित कार्यक्रमों को संचालित करना व उनका प्रचार प्रसार करना।

(20) अस्वच्छ वातावरण में रहने वाले व निराश्रित बच्चों के पुनर्वास एवं शिक्षण व प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

(21) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बच्चों एवं परिवारों को शिक्षित प्रशिक्षित व समाजोत्थान करने से सम्बन्धित राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार के कार्यक्रमों को संचालित करना तथा प्रचार व प्रसार करना।

(22) राज्य सरकार एवं केन्द्रीय सरकार से पिछड़े वर्ग के बच्चो, अल्पसंख्यक बच्चों नाबालिक तथा लावारिश बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को संचालित करना एवं क्रियान्वित करना।

(23) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं विशेष शिक्षण एवं प्रशिक्षण की निःशुल्क व्यवस्था करना।

————4

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

(24) बाबा भीम राव अम्बेडकर तथा गौतम बुद्ध के विचारों का प्रचार व प्रसार करना।

(25) उसर भूमि सुधार योजना का प्रसार एवं प्रचार तथा उससे सम्बन्धित समस्त योजनाओं को ग्रामीण अंचल से क्रियान्वित करना।

(26) महात्मा गाँधी के विचारो का प्रचार व प्रसार करना एवं कार्यान्वयन करना, जैसे–खादी ग्रामोद्योग की स्थापना करना।

(27) जनसंख्या वृद्वि, कल कारखानो से निकलने वाले धुए अनियन्त्रित प्रदूषण की रोकथाम हेतु जागरण करना तथा प्रदूषण को नियंत्रित रखने सम्बन्धित समस्त कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार एवं क्रियान्वयन करना।

(28) भारतीय संस्कृति, परम्परा के अनुरूप एवं पुरूष व महिलाओं के जीवन स्तर को ऊचा उठाने हेतु देश और विदेश से सहायता प्राप्त करके उक्त सभी उद्देश्यों की पूर्ती करना व उनका प्रचार व प्रसार करना।

(29) पीड़ित मानव की सेवा के उद्देश्य से निम्नलिखित संस्थागत इकाइयों का संचालन ग्रामीण क्षेत्रों में करना।

(क) निःशुल्क चिकित्सालय का संचालन।

(ख) अनाथ आश्रम का संचालन।

(ग) वृद्धा एवं विधवा सेवा आश्रम का संचालन।

(घ) डेरी फार्म का संचालन।

(ङ) हस्तशिल्प कला केन्द्र का संचालन।

(च) औद्योगिक एवं प्रद्योगिकी संस्थाओ का संचालन।

(छ) शिक्षा एवं कृषि सेवा संस्थाओं का संचालन।

(ज) मत्स्य पालन एवं सेवा संस्थान की स्थापना।

(झ) निःशुल्क पशु चिकित्सालय की स्थापना का कार्य करना।

———5

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

(त्र) कुष्ट रोग आश्रम एवं चिकित्सालय की स्थापना करना।

(30) उन सारे कार्यो को करना जो सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत आती है।

(31) संस्थान से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों को उचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।

(32) ग्रामोद्योग एवं लघु उद्योग के द्वारा बेकारी दूर करना तथा कृषि धन का समुचित उपयोग करना एवं आश्रित बेरोजगार लोगो की आय में वृद्धि करना।

(33) समाज के आर्थिक दृष्टिकोण से विपन्न लोगो के लिए उनके जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने हेतु प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना, एवं इसके अन्तर्गत, फिटर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डिजल मैकेनिक मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर ट्रेनिंग, टंकण हिन्दी, अंग्रेजी ट्रेनिंग, रेडियोट्रेनिंग मोटर बाइंडिंग ट्रेनिंग, टी०वी० मैकेनिक इत्यादि इन सभी ट्रेडो का प्रशिक्षण देना जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अन्तर्गत आता है।

(34) उन सभी प्रक्रियाओं को अपनाना जो उपरोक्त लक्ष्यो एवं उद्देश्यों में से किसी एक अथवा एक से अधिक की प्राप्ति में सहायक हो।

(35) उक्त समस्त बिन्दुओं से सम्बन्धित समस्त छात्र छात्राओं एवं अन्य कर्मचारियों के लिए आवास एवं खाद्य सामग्री की समुचित व्यवस्था करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

23AB 176335

यह जनरल स्टाम्प पेपर दीनबन्धु शिक्षा प्रसार समिति बस्ती ग्राम- सन्तपुर पोस्ट- पुरानी बस्ती जिला बस्ती द.र.नं. ... जी0 35740 नियमावली ... के साथ संलग्न है।

उत्तर प्रदेश, गोरखपुर

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ.प्र. गोरखपुर
20/7/11

Scanned with OKEN Scanner

नियमावली

1. संस्था का नाम–	दीन बन्धु शिक्षा प्रसार समिति, बस्ती।
2. संस्था का पूरा पता–	ग्राम–रानीपुर, पोस्ट–पुरानी बस्ती जनपद–बस्ती। (उ0प्र0)
3. संस्था का कार्य क्षेत्र–	सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था का उद्देश्य–	स्मृति–पत्र के अनुसार।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–	संस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए संस्था के दो अंग होंगे (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी सभा।
(अ) साधारण सभा–	साधारण सभा के निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होंगे।
(क) साधारण सदस्य–	संस्था के साधारण सदस्य वे लोग माने जायेंगे जो एक ही बार में 1001 रू0 नकद या इतने ही मूल्य की अन्य सम्पत्ति संस्था को प्रतिवर्ष दान स्वरूप प्रदान करते रहेंगे।
(ख) आजीवन सदस्य–	संस्था के आजीवन सदस्य वे लोग होंगे जो एक ही बार में 10001 रू0 नकद अथवा इतने ही मूल्य की अन्य सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप प्रदान करेंगे।
(ग) विशिष्ट सदस्य–	संस्था के विशिष्ट सदस्य वे लोग होंगे जो संस्था को एक ही बार मे 25001 रू0 नकद या इतने ही मूल्य की अन्य सम्पत्ति संस्था को दान स्वरूप प्रदान करेंगे।

नोट :– (1) नया सदस्य बनाने के लिए केवल संस्था के प्रबन्धक ही अधिकृत होंगे किन्तु प्रबन्धक का दायित्व होगा कि प्रबन्ध समिति की सहमति उक्त के सम्बन्ध में करा ले और प्रबन्धक द्वारा सदस्य को सदस्यता रसीद प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) चन्दा अथवा दान देने से कोई व्यक्ति सदस्य नही माना जायेगा। सदस्यता शुल्क के रूप में ही धन देने पर वह सदस्य माना जायेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति–	किसी भी सदस्य को निम्नलिखित रूप में पाये जाने पर उसकी सदस्यता समाप्त समझी जायेगी।

————2

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र०–गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

(1) मृत्यु हो जाने पर।

(2) दीवालिया अथवा पागल हो जाने पर।

(3) नैतिक अपराध करने अथवा न्यायालय से दोषी ठहराए जाने पर।

(4) संस्था के संचालन में अथवा संस्था के विरुद्ध कार्य करने पर।

नोट :–किसी सदस्य की आयोग्यता घोषित करने के लिए प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों के 2/3 भाग के राय आवश्यक होगी।

7. संस्था के अंग– (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्ध कारिणी समिति।

8. साधारण सभा– (अ) गठन :– (1) साधारण सभा का गठन उपयुक्त नियम 5 में वर्णित सभी प्रकार के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

(ब) बैठके :–(1) सामान्य बैठक। (2) विशेष बैठक।

सामान्य बैठक:– साधारण सभा की बैठक प्रत्येक वर्ष के अंत में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक बार भी बुलाई जा सकती है।

विशेष बैठक :– प्रबन्धक के लिखित सूचना पर कभी–भी बुलाई जा सकती है।

(स) सूचना अवधि:– समान्य बैठक के लिए सूचना 11 दिन पूर्व तथा आवश्यक बैठक के लिए सूचना 5 दिन पूर्व दी जायेगी।

(द) गणपूर्ती:– साधारण सभा की बैठक का कोरम साधारण सभा के सदस्यों की संख्या का 2/3 भाग उपस्थित होने पर पूर्ण माना जायेगा।

नोट:– कोरम न पूर्ण होने की स्थिति में सभा स्थगित हो जायेगी अगली बैठक की तिथि उसी दिन निर्धारित कर दी जायेगी

गीता चौधरी

चन्द्र प्रकाश ...

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

———————3

Scanned with OKEN Scanner

और अगली निर्धारित तिथि को गण पूर्ती नही देखी जायेगी और उपस्थित सदस्यों से ही सभा की बैठक सम्पन्न हो जायेगी।

(य) **विशेष या वार्षिक अधिवेशनः–** वर्ष में एक बार विशेष या वार्षिक अधिवेशन होगा।

(र) **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–**

(1) संस्था/समिति के बजट को पारित एवं स्वीकृत करना।

(2) हर 5 वे वर्ष अपने सदस्यों में से पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव करना।

(3) सोसाइटी के सामान्य एवं आर्थिक लाभ के लिए सम्भव कार्य करना।

(4) प्रबन्ध समिति के पद रिक्त होने की दशा मे समिति के सदस्यों में से चुनाव करना/संस्था/समिति के उद्देश्यों के अनुसार उनके हित में कार्य करना।

(5) संस्था के नियमावली में संसोधन, परिवर्तन, परिर्वधन करना।

(6) संस्था/समिति की विगत कार्यवाही की पुष्टि करना।

9. प्रबन्ध कारिणी समिति–

(अ) गठन :– प्रबन्ध कारिणी समिति के सदस्यों/पदाधिकारियों का चुनाव साधारण सभा के वैध सदस्यों द्वारा बहुमत के आधार पर किया जायेगा। प्रबन्ध कारिणी समिति में कुल 11 सदस्य होगे जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी एवं सदस्य गण होंगे।

(1) अध्यक्ष।

(2) उपाध्यक्ष।

(3) प्रबन्धक/मंत्री।

(4) उपप्रबन्धक/उपमंत्री।

(5) 7 सदस्यगण।

गीता चौधरी

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

———4

Scanned with OKEN Scanner

(ब) बैठकें:– 1–सामान्य। 2– विशेष।

1. सामान्य रूप से वर्ष में दो बैठक होगी।
2. विशेष आवश्यकता पड़ने पर इनकी संख्या बहुत हो सकती है।

(स) **सूचना अवधि** :– प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की सूचना सामान्यरूप से 7 दिन पूर्व या विशेष आवश्यकता पड़ने पर 5 दिन पूर्व की जायेगी।

(द) **गणपूर्ति**:– प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम 1/2सदस्यो पर पूरा होगा।

नोट:– कोरम न पूरा होने की स्थिति में सभा स्थगित हो जायेगी अध्यक्ष की घोषणा अनुसार उसी दिन अगली बैठक की तिथि निर्धारित होगी जिसमें गणपूर्ती नही देखा जायेगा। एक बार सभा बुलाने पर गणपूर्ती न होने से बैठक स्थगित होने के बाद दूसरी सभा में भी यही स्थिति होने पर अध्यक्ष को सभा की संचालन करने का पूर्ण अधिकार होगा।

रिक्त स्थानों की पूर्ती आदि:– संस्था के पदाधिकारियों जैसे–अध्यक्ष।

(र) **प्रबन्धकारिणी समिति के कर्तव्य एवं अधिकार** :–

1– विगत कार्यवाही की पुष्टि करना।

2– साधारण सभा के द्वारा लिए गये निर्णयों को क्रियान्वित करना।

3– संस्था/समिति के हिसाब किताब की देख–रेख करना।

4– बजट पर विचार तथा संसोधन करना।

5– संस्था के उद्‌देशो के अनुसार सरकार द्वारा प्रदत्त समस्त अनुरक्षण अनुदान, विकास अनुदान प्राप्त करना तथा उसकी समुचित उपयोग की व्यवस्था करना।

6– संस्था की ओर से चन्दा, दान, लाभांश सदस्यता शुल्क ब्याज अनुदान आदि प्राप्त करना तथा उसके कर्तव्यों एवं

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

गीता चौधरी

———5

कीर्तियो उद्‌दृत आधारों का निर्वहन करना।

7– समिति के सदस्य पदाधिकारी तथा सदस्य अपने कर्तव्यों तथा अधिकारो का उपयोग समिति द्वारा पारित प्रस्ताओं के आधार पर होगा। उद्‌देश्यों की पूर्ती हेतु क्रय बन्धक पट्टा उपहार अनुबन्धन द्वारा जमीन प्राप्त करना एवं उपयोग करना तथा देना।

8– प्रबन्धकारिणी समिति अपने किसी भी शक्ति को उपसमिति या किसी पदाधिकारी को सौंप सकती है।

9– संस्था के कार्यों का संचालन करना तथा इस इनुक्रम में विधि तथा उपविधियों को तैयार करना।

कार्यकाल:– प्रबन्धकारिणी समित के पदाधिकारियों/सदस्यों का कार्यकाल उनके चुने जाने के दिनांक से 5 वर्ष का होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रत्येक पदाधिकारी एवं सदस्य का कार्यकाल उसके उत्तराधिकारी चूने जाने तक समझा जायेगा।

10. **प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के अधिकार व कर्तव्य:**–

1–अध्यक्ष (1) साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करना।

(2) समिति द्वारा पारित आदेशों का पालन करना।

(3) अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना।

(4) समानता के मतदान के समय अपने अतिरिक्त मत से निर्णय करने का अधिकार होगा।

(5) बैठक में बाद–विवाद के पश्चात उचित निर्णय देना।

(6) संस्था के हितार्थ उन सभी कार्यो को करना जिन्हे साधारण संस्था के कार्यकारिणी में स्वीकृत दी हो।

2–उपाध्यक्ष:– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों एवं कर्तव्यों का पालन करना।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रबन्धक/मंत्री :– संस्था के सभी प्रकार के आय व्यय का निरीक्षण करना।

(2) सभी प्रकार के दान अनुदान, चन्दा, सदस्यता शुल्क ब्याज आदि प्राप्त करना एवं व्यय करना।

(3) चल अचल सम्पत्ति की सुरक्षा का प्रबन्ध करना।

(4) निर्माण एवं अन्य कार्य में आवश्यक धन व्यय करना।

(5) लेखा जोखा तैयार करना।

(6) संस्था के सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करना।

(7) संस्था के मुकदमों की पैरवी करना।

(8) संस्था/समिति के उत्कर्ष हेतु चल–अचल सम्पत्ति एवं अनुबन्धों का हस्तान्तरण करना।

(9) समिति द्वारा पारित आदेशों का पालन करना।

(10) सभी धनराशियों का आदान प्रदान करना।

(11) सभी प्रकार के बैठको को बुलाने का अधिकार।

(12) सदस्य बनना, सदस्यता शुल्क प्राप्त करना एवं सदस्यता हेतु रशीद निर्गत करना।

(13) समिति संस्था के उद्देशो के अनुसार उसके पूर्ती हेतु सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

(14) प्रबन्धक को अपने अधिकार एवं कर्तव्य को किसी भी सदस्य को सौपने का अधिकार होगा।

(15) समिति/संस्था की व्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण दायित्वो का निर्वहन करना प्रबन्धक के जिम्मे होगा।

(16) विभिन्न प्रकार के योजनाओं एवं परियोजनाओं को तैयार करना तथा समिति के समक्ष प्रस्तुत करना।

उपप्रबन्धक/उपमन्त्री:– प्रबन्धक/मन्त्री की अनुपस्थिति में प्रबन्धक/मन्त्री के समस्त अधिकार उपप्रबन्धक/उपमंत्री में निहित हो जायेगा।

11. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संसोधन की प्रक्रिया:– प्रबन्धकारिणी समिति को

———7

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

यदि ऐसा प्रतीत होता है कि नियमावली में किसी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन की आवश्यकता है तो इस आशय का एक प्रस्ताव तैयार कर साधारण सभा की बैठक में विचारार्थ रखा जायेगा। साधारण सभा की बैठक में प्रस्ताव के पक्ष में 2/3 बहुमत होने पर नियमावली में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन करके सभी सम्बन्धित को सूचना दे दी जायेगी।

12. **संस्था का कोष (लेखा व्यवस्था):–**

(1) संस्था का कोष अधिकृत पोस्ट आफिस अथवा बैंक में रखा जायेगा तथा कोषों का संचालन प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

(2) आर्थिक लेखा जोखा की व्यवस्था प्रबन्धक ही करेगा।

13. **संस्था के आय व्यय का लेखा परिक्षण आडिट :–**

संस्था के आय व्यय की जांच नियमानुसार प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत करने पर लेखा परीक्षक द्वारा किया जायेगा।

14. **संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:–**

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा।

15. **संस्था के अभिलेख :–** कार्यवाही रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर सदस्यता शुल्क रशीद स्टाक रजिस्टर, कैश बुक आदि प्रबन्धक के पास रहेगा।

16. समिति/संस्था का कार्यकलाप बंद हो जाने पर समिति/संस्था को विघटित करार देना अभीष्ट होगा इस आशय का एक प्रस्ताव प्रबन्ध कारिणी समिति द्वारा साधारण सभा की विशेष बैठक प्रस्तुत किया जायेगा और साधारण सभा के उपस्थित सदस्यों के पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाने पर समिति/संस्था विघटित मान ली जायेगी। समिति/संस्था के विघटित होने पर उसके सभी ऋण एवं दायित्वों को चुकाए जाने के बाद शेष चल अथवा अचल सम्पत्ति पर प्रबन्धक का स्वामित्व होगा।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ०प्र० गोरखपुर

Scanned with OKEN Scanner

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये
रु.10

भारत
INDIA
सत्यमेव जयते

TEN RUPEES
Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

74AB 388704

यह बनारस स्टाम्प पेपर "दीनबन्धु शिक्षा प्रसार समिति"
ग्राम–सहतापुर पो०–पुरानी बस्ती"
का .... फाइल नं० 35748
स्मृति पत्र समिति की सूची के साथ संलग्न है।
वर्ष 2012-13

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर
12/12/12

Scanned with OKEN Scanner

दीनबन्धु शिक्षा प्रसार समिति ग्रा0 सन्तपुर पो0 पुरानी बस्ती जनपद बस्ती की प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष..................2012–13

क्र.सं.	नाम / पिता का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती गीता चौधरी पत्नी स्व0रामराज चौधरी	तेनुआ मझौवामीर जनपद बस्ती	अध्यक्ष	कृषि
2.	श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी पुत्र श्री सीताराम चौधरी	पणरिया दत्तू दसिया बस्ती	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री हरिशंकर चौधरी पुत्र स्व0 रामराज चौधरी	तेनुआ मझौवामीर जनपद बस्ती	प्रबन्धक / मंत्री	"
4.	श्री रविशंकर चौधरी पुत्र स्व0रामराज चौधरी	तेनुआ मझौवामीर जनपद बस्ती	उपप्रबन्धक / उपमंत्री	"
5.	श्री राजकिशोर चौधरी पुत्र श्री सीताराम चौधरी	पणरिया दत्तू दसिया जनपद बस्ती	सदस्य	"
6.	श्री परमात्मा प्रसाद चौधरी पुत्र श्री रामदेव चौधरी	ग्रा0 दुभरा तिलोली जनपद सि0नगर	सदस्य	नौकरी
7.	श्री लाल बहादुर चौधरी पुत्र श्री रामनरेश चौधरी	महोखवां बासी जनपद सिद्धार्थनगर	सदस्य	"
8.	श्री राज कुमार चौधरी पुत्र श्री सीताराम चौधरी	पणरिया दत्तू दसिया जनपद बस्ती	सदस्य	कृषि
9.	श्री विद्यासागर चौधरी पुत्र श्री कामता चौधरी	चमरहिया पुर्सिया जनपद [illegible]	सदस्य	"
10.	श्री श्याम सुन्दर चौधरी पुत्र श्री सत्यनारायण चौधरी	बहोरवा अलीगढवा सिद्धार्थनगर	सदस्य	"
11.	श्री रामानन्द चौधरी पुत्र श्री त्रिवेनी चौधरी	धवर दानकुईया जनपद सि0नगर	सदस्य	नौकरी

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ0प्र0 गोरखपुर
12/12/12

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता 12/12/12

Scanned with OKEN Scanner

संस्था के साधारण सभा के सदस्यों का नाम पद पता एवं व्यवसाय जो वर्तमान में संस्था के लिए विधि मान्य है।

क्र0 सं0	नाम सदस्य	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय	सदस्यता के प्रकार
1.	श्रीमती गीता चौधरी	श्री राम राज चौधरी	तेनुआ मझौवामीर,बस्ती	अध्यक्ष	कृषि	आजीवन
2.	श्री राजेन्द प्रसाद चौधरी	श्री सीता राम चौधरी	पड़रियादत्तू दसिया, बस्ती	उपाध्यक्ष	कृषि	आजीवन
3.	श्री राम राज चौधरी	श्री बलदेव चौधरी	तेनुआ मझौवामीर, बस्ती	प्रबन्धक/ मंत्री	कृषि	आजीवन
4.	श्री हरि शंकर चौधरी	श्री राम राज चौधरी	तेनुआ मझौवामीर, बस्ती	उपप्रबन्धक /मंत्री	कृषि	आजीवन
5.	श्री राज किशोर चौधरी	श्री सीता राम चौधरी	पड़रिया दत्तू दसिया,बस्ती	सदस्य	कृषि	आजीवन
6.	श्री परमात्मा प्रसाद चौधरी	श्री राम देव चौधरी	दुभरा तिलौली, बस्ती	सदस्य	नौकरी	आजीवन
7.	श्री लाल बहादुर चौधरी	श्री राम नरेश चौधरी	महोखवा, बांसी सिद्वार्थनगर	सदस्य	नौकरी	आजीवन
8.	श्री राज कुमार चौधरी	श्री सीता राम चौधरी	पड़रिया दत्तू दसिया, बस्ती	सदस्य	कृषि	आजीवन
9.	श्री विद्यासागर चौधरी	श्री काम[illegible] चौधरी	चमरहिया, पुर्सिया, बस्ती	सदस्य	कृषि	आजीवन
10.	श्री श्याम सुन्दर चौधरी	श्री सत्य नारायण चौधरी	बहोरवा अलीगढ़वा, सिद्वार्थनगर	सदस्य	कृषि	आजीवन
11.	श्री रामानन्द चौधरी	श्री त्रिवेनी चौधरी	धवर बानकुइया, सिद्वार्थनगर	सदस्य	नौकरी	आजीवन
12.	श्री अशोक कुमार चौधरी	श्री परमात्मा प्रसाद चौधरी	दुभरा तिलौली, सिद्वार्थनगर	सदस्य	कृषि	आजीवन
13.	श्री रवि शंकर चौधरी	श्री रामराज चौधरी	तेनुआ मझौवामीर, बस्ती	सदस्य	कृषि	आजीवन
14.	श्री परशुराम चौधरी	श्री दया राम चौधरी	महोखवा, बांसी, सिद्वार्थनगर	सदस्य	कृषि	आजीवन
15.	श्री चन्द्र प्रकाश	श्री राम लखन	पड़िया पुर्सिया, बस्ती	सदस्य	कृषि	आजीवन

सत्य – प्रतिलिपि
26.7.11
सहायक
सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर
20/7/11

प्रतिलिपि कर्ता ....
मिलान कर्ता ....
20/7/11